UPKJ010010852023

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज।

प्रकीर्ण वाद संख्या–19/74/2023

विशम्भर सिंह आदि बनाम भगवत दयाल आदि

31.01.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र 3C2 विपक्षीगण के विरूद्ध न्यास के उद्देश्यों को सुरक्षित व संरक्षित करने हेतु मुकदमा दायर करने की अनुमति हेतु स्वीकार करने की याचना की गई है।

उक्त प्रार्थना पत्र श्री सुखराम कुमार यादव, एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जब उसने बहस हेतु सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि गौतम कुमार शर्मा, एडवोकेट बहस करेंगे और जब श्री गौतम कुमार शर्मा, एडवोकेट से फोन से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि श्री राजेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट बहस करेंगे। प्रार्थीगण या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं है न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण को अपने वाद को चलाने में कोई रूचि नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष वाद को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चन्द्रोदय कुमार)
जनपद न्यायाधीश,
कन्नौज।